



2026:AHC-LKO:19257

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 13860 वर्ष 2025

जय दत्त भट्ट द्वारा अपने निकट मित्र/पिता/अभिभावक

भवानी दत्त भट्ट

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली,

एवं अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: आलोक कुमार मिश्र

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा तथा विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता श्री देव ऋषि कुमार को सुना ।
2. याचिका दिनांक 14 नवम्बर 2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम-53 पाठ्यक्रम, भारतीय सेना, की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था और चयन सूची में क्रम संख्या 121 पर सम्मिलित था। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि 21 दिनों की विलंबित प्रवेशन अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई, जबकि याचिकाकर्ता ने उक्त 21 दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रवेश बंद कर दिया गया था और 120 के योग्यता क्रमांक तक के अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिससे याचिकाकर्ता क्रम संख्या 121 पर प्रतीक्षा में रह गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रवेशन अवधि के संबंध में विरोधी पक्षों ने परस्पर विरोधी रुख अपनाया है, जबकि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित किया गया कि प्रवेशन अवधि 21 दिन है, जबकि अन्य एक व्यक्ति अर्थात् अंकुर के मामले में विरोधी पक्षों ने उसका प्रकरण यह दर्शाते हुए अस्वीकृत किया है कि प्रवेशन अवधि 42 दिन है।
4. विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 29 जनवरी 2026 के प्रति-शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि दिनांक 26 जुलाई 2000 के परिपत्र के अनुसार, आईएमए, ओटीएम, एनडीए के मामलों में प्रवेशन अवधि क्रमशः चार सप्ताह, तीन सप्ताह तथा तीन सप्ताह के रूप में स्पष्ट रूप से इंगित की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि चूँकि सभी रिक्तियाँ भर दी गईं और 21 दिनों की प्रवेशन अवधि के भीतर कोई रिक्ति न तो विद्यमान थी और न ही उत्पन्न हुई, अतः याचिकाकर्ता को समायोजित करने का कोई अवसर नहीं था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषतः विवादित आदेश, के अवलोकन के उपरांत, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का प्रवेश हेतु चयन केवल इस आधार पर नहीं किया गया कि जुलाई 2025 के टीईएस-53 पाठ्यक्रम के प्रारंभ से 21 दिनों की विलंबित प्रवेशन अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई, जो कि 120 के योग्यता क्रमांक पर बंद कर दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता ने 121 का योग्यता क्रमांक प्राप्त किया था।

6. दिनांक 26 जुलाई 2000 के परिपत्र के अवलोकन से यह इंगित होता है कि पाठ्यक्रम के प्रारंभ से विलंबित प्रवेशन हेतु आईएमए, ओटीए तथा एनडीए के लिए क्रमशः चार सप्ताह, तीन सप्ताह तथा तीन सप्ताह की अवधि के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

7. यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान वाद में विज्ञापन के अनुसरण में पाठ्यक्रम 30 जून 2025 को प्रारंभ हुआ। उपर्युक्त विज्ञापन, जो अभिलेख पर रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 के रूप में लाया गया है, का अवलोकन करने पर यह भी परिलक्षित होता है कि प्रस्तर 3 में यह संकेतित है कि 90 रिक्तियों पर भर्ती की जानी अपेक्षित थी, जिसमें कमीशन के प्रकार को पाठ्यक्रम में चार वर्ष की सफलतापूर्वक पूर्णता के उपरांत सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी के रूप में संकेतित किया गया है। दो चरणों सहित कुल चार वर्षों का प्रशिक्षण, जिसमें एकीकृत आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण और अभियांत्रिकी प्रशिक्षण सम्मिलित है तथा उसके पश्चात एकीकृत आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण के चरण-2 का होना, संकेतित किया गया है।

8. स्पष्टतः, दिनांक 26 जुलाई 2000 का परिपत्र वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू होगा, विशेषतः इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि विरोधी पक्षकारों द्वारा यह अस्वीकार किया गया कि पाठ्यक्रम के प्रारंभ से 21 दिनों की विलंबित प्रवेश अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न हुई।

9. यद्यपि याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त पहलू का खंडन किया है, तथापि वह इस बात का किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थन करने में विफल रहा है कि विलंबित प्रवेशन अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न हुई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. उपर्युक्त विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में, यह स्पष्ट होने के कारण कि पाठ्यक्रम के प्रारंभ से 21 दिनों के विलंबित प्रवेशन अवधि के भीतर कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं हुई, याचिकाकर्ता को, उसके योग्यता क्रम में 121वें स्थान पर होने के परिप्रेक्ष्य में, कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था।

11. परिणामतः, याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

17 मार्च, 2026

प्रभात/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।